वन विभाग के खाते दर्ज आराजीयात में निहित है और जिसका रकबा 0.28 है. होता है। उक्त वन विभाग के खाते दर्ज शेष भूमि का प्रार्थी खातेदार काश्तकार घोषित होने का अधिकारी है जिस बाबत दावा अलग से पेश कर दिया है। उक्त भूमि पर प्रार्थी वर्षों से काबिज काश्त है अतः प्रथम दृष्टया मामला है। खातेदारी की घोषणा की भी प्रबल संभावना है तब तक के लिए भूमि की रिकॉर्ड व मौके की यथा स्थिति जारी कराना आवश्यक है अन्यथा अपूरणीय क्षति भी प्रार्थी को होगी। इस प्रकार सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है अतः विपक्षीगण के विरुद्ध TI जारी कराना फरमावें।

बहस को सुनने के पश्चात् पत्रावली का अवलोकन किया गया। पेश दस्तावेजों का बारीक निरीक्षण किया गया। जिससे यह सामने आया कि प्रार्थी द्वारा खरीद पत्र में अंकित आराजी 74/54 है जबकि जमाबंदी में 74/5 क लिखा गया है जिससे एक ही आराजी का होना सिद्ध नहीं होता है। इसके अतिरिक्त जिन साबिक नम्बरान से हाल नम्बरान सृजित हुए हैं उनके क्षेत्रफल में अत्यन्त असमानता है। प्रार्थी के आराजी नं. 324 रकबा 0.60 है मिलान क्षेत्रफल के अनुसार साबिक नम्बर 80 व 81 से मिलकर बनती है जबकि प्रार्थी ने आराजी नं. 80 को विक्रय पत्र अनुसार खरीदा ही नहीं था।

उपर्युक्त विसंगतियों से प्रार्थी का यह दावा कि वन विभाग के खाते दर्ज आराजीयात में ही उसके हिस्से की शेष भूमि निहित है सिद्ध नहीं होता है। इसलिए उसके हक्क अस्थाई निषेधाज्ञा की मांग करना भी उचित नहीं है। फिर भी जब तक दावे के उक्त गुणावगुण के आधार पर यह निर्धारित नहीं हो जाता कि दावा निराधार है तब तक वन विभाग के खाते दर्ज आराजीयात के 0.28 है. भूमि पर मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए जाते हैं। आदेश सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(हस्ताक्षर)
9.4.14